न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर. ए. एस.

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./20/2021/बाड़मेर

अपीलांट **रेस्पोडेंटगण**

पठान खां पुत्र श्री जुम्मे खां जाति मुसलमान साकिन ग्राम डिगडी तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर	सरकार जरिये तहसीलदार जैसलमेर हाल तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जैसलमेर बमुकदमा सं. 26/1986 बउनवान तहसीलदार जैसलमेर बनाम पठान खां पुत्र जुम्मेखां में पारित आदेश दिनांक 26.03.1987 के विरूद्ध पेश हुई।।

उपस्थित

1. वकील श्री बसीर मोहम्मद अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री हरीराम चौधरी राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—16.04.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का रामा ने एक प्रार्थना—पत्र तहसीलदार जैसलमेर को प्रस्तुत कर बताया कि अपीलांट स्वेच्छा से पाक पलायन कर गया। उक्त गैरसायल के नाम ग्राम डिगडी के खसरा संख्या 128, 138 रकबा 26.05 व 31.17 कुल रकबा 58.02 में आधा हिस्सा जमीन बारानी भूमि खातेदारी में दर्ज है। गैरसायल बिना पार पत्र अवैध रूप से पाक चला गया है। गैरसायल के अवैध रूप से अपनी भूमि परित्याग कर पाक जाने के कारण उनकी भूमि खालसा करने के लिए तहसीलदार जैसलमेर द्वारा राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 63(8) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया था। अपीलांट को बिना सुनवाई के खालसा करने में कानून इंसाफन भूल की है। अपीलांट ने कभी भी अपनी उक्त भूमि का परित्याग नहीं किया, न उनके विदेश जाने का आरोप लगा है, रेस्पोडेंट की तरफ से जो आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट लगातार भारत में रहते आ रहे हैं, भारतीय नागरिक है। मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई रिकार्ड का अवलोकन किये सम्पूर्ण 58.02 बीघा भूमि में से

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

आधा हिस्सा खालसा करने में कानूनन व इंसाफन भूल की है। यह आदेश पूर्णतया अपीलांट के विरूद्ध प्रारम्भ से शून्य व अवैध रूप से होने से काबिल खारिज योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट पठान खां की माता श्रीमती फूलों व पत्नी काबला की ओर से उजरदारी दिनांक 05.01.1987 को पेश होना लिखा गया है और उजरदारी प्रार्थना–पत्र देखने से एकदम स्पष्ट है कि इन उजरदारान ने पटवारी रामा द्वारा गलत रिपोर्ट की जाना बताया और पाकिस्तान जाना नहीं बताया बल्कि सन् 1985 में अकाल की वजह से मजदूरी करने गुजरात की तरफ जाना बताया तब से लेकर आज तक जैसलमेर जिले में नहीं आया है। पाक पलायन की झूठी रिपोर्ट पेश कर दी जिसकी कोई जांच नहीं हुई और न ही कोई सुनवाई का नोटिस दिया। अपीलांट के विरूद्ध व उसके परिवार वालों के खिलाफ पटवारी हल्का ने कभी भी पुलिस थाना में प्रथम सूचना दर्ज नहीं कराई और न ही उनके खिलाफ कोई 3/6 आइ पी पी सैक्शन में कोई फौजदारी मुकदमा चला। पटवारी हल्का ने व किसी भी चश्मदीद गवाह ने इन व्यक्तियों को भारत–पाक बोर्डर क्रास करते नहीं देखा। केवल मात्र कयास के आधार पर मुकदमा मनमाने तरीके से दर्ज करवाया गया जो विश्वसनीय नहीं है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार जिनको पाक जाना बताया गया है उसमें भी अपीलांट का नाम दर्ज नहीं है व न ही रेस्पोडेंट द्वारा अपने आवेदन में अपीलांट को पाक जाना बताया गया है। पुलिस थाना सम में एक प्रथम सूचना थानाधिकारी, सम द्वारा दर्ज करवाई गई जिसमें यह दर्शाया कि कुछ तस्कर बोर्डर के पास देखे गये जिसमें पुलिस व उनके बीच मुकाबला हुआ जिसमें उन तस्करों ने पुलिस वालों के ऊपर जान से मारने के लिये बन्दूक की गोलियां चलाई। तस्करों के पास बन्दूकें थी उन्होने पुलिस वालों की ड्यूटी में बाधा पहुंचाई, बाद में तस्कर फरार हो गये। पुलिस ने यह मुकदमा अन्तर्गत धारा 302, 307, 333, 147 व 27 आर्म्स एक्ट में दर्ज करवाया और घटना के दौरान तस्कर फरार हो गये थे कोई गिरफ्तार नहीं हुआ था। अपीलांट पठान खां जो इस प्रथम सूचना में पुलिस द्वारा मुल्जिम बनाया गया था उसे मफरूर बताया गया तथा दूर से देखा जाना बताया व अभियुक्त पूर्व से जानकार नहीं थे। इस मुकदमा में अपीलांट जिसे मुल्जिम बताया गया था वह सरेण्डर हुआ और मुकदमें

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

की गवाह सबूत से ट्रायल हुई और डिस्ट्रक्ट एण्ड सैशन जज, जैसलमेर द्वारा दिनांक 12.10.1995 को फैसला सुनाया गया जिसमें ऊपर वर्णित धाराओं में सजा सुनाई गई। काफी समय तक अपीलांट जेल में बंद रहा और ट्रायल हुई इस प्रकार स्पष्ट है कि स्वयं पुलिस द्वारा दिनांक 10.04.1986 को पुलिस थाना, राम जिला जैसलमेर में दर्ज फौजदारी मुकदमा में मुल्जिम रहा और माननीय राजस्थान हाईकोर्ट में पठान खां द्वारा अपील करने पर डी बी क्रिमीनल अपील संख्या 437/1995 बउनवान पठान खां बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में दिनांक 30.04.1997 के फैसले में बरी किया गया। अपीलांट की खातेदारी भूमि को खालसा करने हेतु पारित आदेश पूर्णतया अपीलांट के विरूद्ध प्रारम्भ से शून्य व अवैध है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–WLC 2004(2) Page 327, SC CRIMINAL APPEAL NO. 937 OF 1998, RRT 2023(1) Page 312, RRT 2017(1) Page 190, RRT 2016(2) Page 1030, WLN (U.C.) 1975 Page 92, 1997 Cr. L.R. (Raj.) Page 446

राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पास किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अपीलांट द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से पाक पलायन करने से उसकी खातेदारी भूमि को खालसा की गई जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को बहाल रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया अपीलाधीन निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है। अपीलांट /प्रार्थी की अनुपस्थिति में पारित किया गया था जिसकी जानकारी अपीलांट को नहीं थी। अभी जुलाई–अगस्त में जब जैसलमेर जिला में वर्षा हुई और अपीलांट ने पटवारी हल्का से दिनांक 10.08.2021 को के. सी. सी. ऋण प्राप्त करने हेतु चालू जमाबंदी की नकल मांगी तो उसने बताया कि उनकी पाक पलायन किया जाना बताया जाकर उसकी भूमि की खातेदारी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.03.1987 को सिवायचक दर्ज कर दी गई। इस म्यूटेशन की नकल दिनांक 19.08.2021 को लेने पर प्रथम बार ज्ञात हुआ कि उनकी खातेदारी भूमि उस समय पटवारी से अनबन के कारण झूठी रिपोर्ट पाक पलायन बताई जाने से भूमि खातेदारी से हटाई जाकर सिवायचक दर्ज हो गई। सर्वप्रथम वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है, अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं है। देरी कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया। जबकि अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन की व्याख्या स्पष्ट करनी होती है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलांट की माता एवं पत्नी द्वारा पेश उजरदारी जरिये अधिवक्ता की उपस्थिति में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। हस्तगत अपील तकरीबन 34 वर्ष बाद पेश की गई। देरी के एक एक दिन का हिसाब नहीं बताया गया। उक्त 34 वर्ष की अवधि में राज्य/केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिये अपीलांट द्वारा नकल जमाबंदी प्राप्त की गयी होगी। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आधार पर अपीलांट की अपील मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते हैं। चूंकि प्रकरण में गुणावगुण पर भी बहस सुनी गई इसलिए प्रकरण का गुणावगुण पर भी निस्तारण किया जाना विधि सम्मत होगा।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांट को सुनवाई का अवसर देने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। राज्य पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में अपीलांट पठान खां का बिना पारपत्र पाकिस्तान पलायन कर जाना साबित किया गया जिसका खंडन नहीं किया गया। तहसीलदार द्वारा ग्राम में मजमे आम में जानकारी करने पर ग्राम वासियों द्वारा भी पठान खां का पाकिस्तान जाना अवगत कराया गया है। किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से पठान खां का आलोच्य अवधि में पाकिस्तान नहीं जाना साबित नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में किसी प्रकार की कोई वैधानिक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि कारित नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते वक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पूर्ण पालन किया गया। अपीलाधीन आदेश पारित होने के पश्चात सुदीर्घ अवधि पश्चात अपील पेश की गई। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

लिहाजा अपीलांट की अपील मियाद बाहर सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जैसलमेर बमुकदमा सं. 26/1986 बउनवान तहसीलदार जैसलमेर बनाम पठान खां पुत्र जुम्मेखां में पारित आदेश दिनांक 26.03.1987 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

16/4/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 16.04.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/4/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर